न्यायालय श्रीमान सी0 जे0 एम0 महोदय कक्ष संख्या 16
सुलतानपुर।

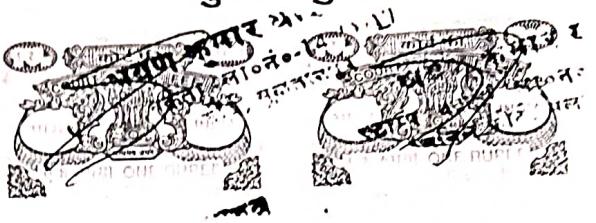

कुसुम देवी उम्र करीब 38 साल पत्नी नीशू तोमर निवासी गौरीगंज रोड मुसाफिरखाना थाना मुसाफिरखाना जिला अमेठी.....अभियोगिनी

बनाम

1–प्रतिभा कुशवाहा पुत्री अशोक कुशवाहा वर्तमान पता पुलिस लाइन जनपद अयोध्या स्थायी पता 79सी/ए मेवराबाद गणेशनगर कैण्ट जनपद प्रयागराज।
2–मीरा कुशवाहा प्रभारी निरीक्षक महिला थाना जनपद सुलतानपुर
3–कई व्यक्ति अज्ञात .....अभियुक्तगण

प्र0 फौ0 वा0 सं0– /2022
अं0 धारा–120बी,364 भा0द0वि0
थाना–को0नगर
जनपद–सुलतानपुर

<u>प्रार्थना पत्र अं0 धारा 156(3) जा0 फौ0</u>

महोदय,

प्रार्थिनी विनम्रता के साथ निम्न प्रकार निवेदन करती है कि–

धारा 1–यह कि प्रार्थिनी कुसुम देवी पत्नी नीशू तोमर वर्तमान में गौरीगंज रोड मुसाफिरखाना थाना मुसाफिरखाना जिला अमेठी में निवास करती है।

धारा 2–यह कि प्रार्थिनी के पति उ0 प्र0 पुलिस विभाग मे निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। प्रार्थिनी के पति के विरूद्ध म0 का0 प्रतिभा कुशवाहा ने एक झूँठा व मनगढ़न्त मुकदमा अपराध संख्या 744/2022 अं0 धारा–323, 504, 506, 406, 328, 452, 376 भा0 द0 वि0 एवं 67 आई0 टी0 ऐक्ट के तहत थाना को0 नगर जनपद सुलतानपुर में पंजीकृत कराया है। वर्तमान समय में जिसका अन्वेषण महिला थाना प्रभारी जनपद सुलतानपुर श्रीमती मीरा कुशवाहा द्वारा की जा रही है।

धारा 3 यह कि दिनांक 22.09.2022 को प्रार्थिनी के पति नीशू तोमर उक्त मुकदमें में माननीय न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु जनपद न्यायालय सुलतानपुर आये थे किन्तु बिलम्ब हो जाने के कारण

आत्म समर्पण प्रार्थना पत्र नहीं दिया जा सका तथा अधिवक्ता महोदय ने दिनांक 23.09.2022 को आत्म समर्पण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की बात कहते हुए हस्ताक्षर बनवाकर वापस भेज दिया।

धारा 4—यह कि जैसे ही समय करीब 3.45 बजे दिन में प्रार्थिनी के पति नीशू तोमर न्यायालय गेट के बाहर निकले और कुछ ही दूर पहुंचे थे तो वहाँ पर पहले से मौजूद प्रतिभा कुशवाहा व महिला थाना प्रभारी मीरा कुशवाहा अपने साथ बड़ी संख्या में पुलिस लेकर पीछा किया और पकड़ लिया तथा पकड़कर महिला थाना लायी जहां से मेरे पति ने मुझे फोन करके बताया कि मुझे महिला थाना प्रभारी ने पकड़ लिया है थाने पर बैठाया है तथा छोड़ने के लिए एक लाख रूपये मांग रही हैं, रूपये लेकर चली आओं नहीं तो मुझे जेल जाना पड़ेगा।

धारा 5—यह कि प्रार्थिनी घर में रखा रूपया व व्यवस्था करके एक लाख रूपया लेकर समय करीब 6.30 बजे शाम को महिला थाना गयी और अपने पति से बात किया तो उन्होंने गेट पर रूकने को कहा और कहा कि मैं प्रभारी महोदय को संदेश दिला देता हूँ। कुछ देर बाद एक म0 का0 मास्क लगाकर मेरे पास आयी और मेरा परिचय पूँछा तथा मुझे थोड़ी दूर ले जाकर एक लाख रूपया लिया तथा कहा कि आप जाओ कुछ देर में तुम्हारे पति नीशू तोमर घर पहुंच जायेगे किन्तु पूरी रात बीत जाने के बाद भी अभी तक मेरे पति घर नहीं आये जबकि सोशल मीडिया आदि में पुलिस द्वारा खबर दी जा रही है कि नीशू तोमर को पूँछ तांछ के लिया लाया गया था बाद पूँछ तांछ उनको घर भेज दिया गया।

धारा 6—यह कि प्रार्थिनी व उसके बच्चे बुरी तरीके से घबराये हुए हैं क्योंकि उक्त प्रतिभा कुशवाहा व प्रभारी मीरा कुशवाहा एक ही जनपद के तथा एक ही जाति बिरादरी के है और यह भी पता चला है कि वे आपस में रिश्तेदार भी हैं जो षडयन्त्र करके पूँछ तांछ के नाम पर मेरे पति का अपहरण कर लिए हैं और उनके साथ कोई अनहोनी अथवा उनकी हत्या कर सकती है।

धारा 7—यह कि प्रार्थिनी व उसके बच्चों का रो—रो कर बुरा हाल है अगर प्रार्थिनी के पति के साथ कोई अनहोनी हुई तो प्रार्थिनी अपने बच्चों के साथ आत्म हत्या कर लेगी।

धारा 8—यह कि प्रार्थिनी ने उक्त घटना के बावत् थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर में प्रार्थना पत्र दिया परन्तु प्रार्थिनी की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तब प्रार्थिनी ने उक्त घटना के बावत् श्रीमान पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर एवं अन्य उच्चाधिकारियों को दिनांक—23.09.2022 को तथा दिनांक—03.10.2022 को जरिये रजिस्ट्री डाक तथा दिनांक—26.09.2022 को समक्ष उपस्थित होकर भी उपरोक्त घटना से अवगत कराते हुए अबिलम्ब कार्यवाही किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया परन्तु आज तक प्रार्थिनी की न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गयी और न ही कोई कार्यवाही की गयी अतएव प्रार्थिनी श्रीमान जी के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है।

धारा 9—यह कि घटना अत्यन्त गम्भीर एवं संज्ञेय प्रकृति की है घटना की गम्भीरता एवं प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अन्वेषण कराया जाना आवश्यक है।

धारा 10—यह कि प्रार्थना पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर व अन्य उच्चाधिकारियों को दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति एवं रजिस्ट्री रसीद संलग्न की जा रही है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर को उपरोक्त घटना के बावत् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना किये जाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

कुसुम

प्रार्थिनी

कुसुम देवी पत्नी नीशू तोमर निवासी गौरीगंज रोड मुसाफिरखाना थाना मुसाफिरखाना जिला अमेठी.....

.....अभियोगिनी

Brijesh Pandey
Advocate
District And Session Court
Sultanpur (U.P.)
Mo.-9451677778

द्वारा Brijesh Pandey 19/10/2022

अधिवक्ता

दिनांक— 19/10/2022

वादी/प्रतिवादी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजो की सूची

(आर्डर १३ नियम)

न्यायालय स्थान जिला

सन् वादी – प्रतिवादी

वादी/प्रतिवादी की ओर से वादी पक्ष के साथ पेश किये गये दस्तावेजो की सूची

इस सूची को प्रथम सुनवाई के साथ ने आज सन् २०० के दिवस को पेश किया

१	२	३			४
		कागज क्या हुआ			
	दस्तावेजो को अविवर्णन और उसकी तारीख यदि कोई हो	यदि अभिलेख में सम्मिलित किये गया तो प्रदर्शन चिन्ह को उस पर डाला गया	यदि नामंजूर हुआ तो सरकार को लौटाये जाने की तारीख और पक्षकार उसके अधिवक्ता के हस्ताक्षर जिसे कागज लौटाया गया	यदि विनिश्चय के पश्चात अभिलेख में रह जाये तो अध्याय ३ नियम २४ के अधीन लिफाफा के वन्द करने की तारीख	टिप्पणी

(i) दिनांक 23-09-22 को पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर व अन्य उच्चाधिकारियों को भेजे गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति एवं 2 रसीद रजिस्ट्री की छायाप्रति।

(ii) दिनांक 26-09-22 को D.I.G. अयोध्या [illegible] को भेजे गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति।

(iii) दिनांक 03/10/22 को प्रभारी पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर से मिलकर तथा जि०धि० एवं उच्च अधिकारियों को प्रेषित प्रा० पत्र की छायाप्रति एवं रसीद रजि० की छायाप्रति।

(iv) प्रार्थिनी के पति [illegible] एवं उनके हमराहियान पुलिस द्वारा [illegible] जाने के [illegible] फोटो [illegible]

(v) प्रार्थिनी के आधार कार्ड की छायाप्रति

न्यायालय का नाम / पक्षकारों का नाम / वाद संख्या

त में या से मद में कर व होनी

सूची पेश करने वाले पदाभार/अधिवक्ता के हस्ताक्षर

कुसुम

दर्ज

जिला अमेठी

दिनांक 23/07/22